न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 67 / 2020 अपील / बांसवाडा (GCMD 2020/00071)
पंजीयन दिनांक– 13.11.2020
निर्णय दिनांक– 22.01.2021

1. श्रीमती मेघा धींग पत्नि श्री संजय कुमार धींग, निवासी राती तलाई बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)
2. श्रीमती डिम्पल हथियावत पत्नि श्री अभिषेक हथियावत, निवासी खान्दू कॉलोनी बांसवाडा, तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

.... अपीलान्ट्स

बनाम

1. जिला पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी, तहसीलदार बांसवाडा, जिला बांसवाडा (राज.)

..................रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री एस.पी. व्यास : अधिवक्ता अपीलान्ट्स
राजकीय अभिभाषक : अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा के आदेश
क्रमांक / राजस्व / भू–आवंटन / 16 / 2291 दिनांक 17.07.2020

निर्णय

दिनांक–22.01.2021

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा के आदेश क्रमांक / राजस्व / भू–आवंटन / 16 / 2291 दिनांक 17.07.2020 के विरूद्ध दिनांक 13.11.2020 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सिविल

प्रक्रिया संहिता, अग्रिम कार्यवाही रोकने बाबत स्थगन प्रार्थना, प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य बकौल अपीलांट इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/भू–आवंटन/16/2291 दिनांक 17.07.2020 से रेस्पोडेंट संख्या–1 को ग्राम कुण्डला खुर्द तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित आराजी नम्बर 488 रकबा 10.12 बीघा में से 2 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के लिये भूमि आवंटन) नियम 1963 के अधीन पुलिस चौकी बदरेल केम्प पाड़ला थाना आबापुरा के भवन निमार्ण के लिये आवंटित की है। उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 पर स्थित है जो राजमार्ग इस भूमि से 132 फीट की दूरी पर है। रेस्पोडेंट संख्या–1 को किया गया आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 से 100 फीट की दूरी पर है। इस प्रकार आवंटित भूमि "सडक सीमा" में आने से ऐसे आवंटन से अपीलांट्स पीड़ित है। अपीलांट्स की ग्राम कुण्डला खुर्द तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित रूपांतरित आराजी नम्बर 450 रकबा 1.11 बीघा का स्वामित्व और आधिपत्य धारण करते हैं, जो आवंटित भूमि से बिलकुल सटी हुई है। इस भूमि के रूपांतरण बाबत दिनांक 27.05.2013 को विहित प्रधिकारी तहसीलदार, बांसवाडा ने आदेश क्रमांक/राज/2013/550–552 पारित किया। इस आदेश के बिन्दु संख्या 11(ड़) के अनुसार संपरिवर्तन राष्ट्रीय राजमार्ग से 132 फीट दूरी पर किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अपीलांट्स की संपरिवर्तित भूमि और राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य की भूमि "सडक सीमा" में आने वाली भूमि है। दूसरे अर्थों में अपीलांट्स को राष्ट्रीय राजमार्ग से अपनी भूमि के लिये राइट ऑफ फ्रण्टेज प्राप्त हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने "सडक सीमा" की भूमि का आवंटन कर दिया और अपीलांट्स से उन्हें प्राप्त राइट ऑफ फ्रण्टेज छीन लिया अतएवं उक्त आवंटन आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई।

उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से अधिवक्ता श्री एस. पी. व्यास उपस्थित व रेस्पोडेन्ट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 15.01.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/भू–आवंटन/16/2291 दिनांक 17.07.2020 से रेस्पोडेंट संख्या–1 को ग्राम कुण्डला खुर्द तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित आराजी नम्बर 488 रकबा 10.12 बीघा में से 2 बीघा भूमि राजस्थान भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के लिये भूमि आवंटन) नियम 1963 के अधीन पुलिस चौकी बदरेल केम्प पाड़ला थाना आबापुरा के भवन निमार्ण के लिये आवंटित की है, उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 पर स्थित है जो राजमार्ग इस भूमि से 132 फीट की दूरी पर है। रेस्पोडेंट संख्या–1 को किया गया आवंटन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 से 100 फीट की दूरी पर है। इस प्रकार आवंटित भूमि "सडक सीमा" में आने से ऐसे आवंटन से अपीलांट्स पीड़ित है। अपीलांट्स की ग्राम कुण्डला खुर्द तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित रूपांतरित आराजी नम्बर 450 रकबा 1.11 बीघा का स्वामित्व और आधिपत्य धारण करते हैं, जो आवंटित भूमि से बिलकुल सटी हुई है। इस भूमि के रूपांतरण बाबत दिनांक 27.05.2013 को विहित प्रधिकारी तहसीलदार, बांसवाडा ने आदेश क्रमांक/राज/2013/550–552 पारित किया। इस आदेश के बिन्दु संख्या 11(ड़) के अनुसार संपरिवर्तन राष्ट्रीय राजमार्ग से 132 फीट दूरी पर किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि अपीलांट्स की संपरिवर्तित भूमि और राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य की भूमि "सडक सीमा" में आने वाली भूमि है। दूसरे अर्थों में अपीलांट्स को राष्ट्रीय राजमार्ग से अपनी भूमि के लिये राइट ऑफ फ्रण्टेज प्राप्त हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने "सडक सीमा" की भूमि का आवंटन कर दिया और अपीलांट्स से उन्हें प्राप्त राइट ऑफ फ्रण्टेज छीन लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार ही नहीं है कि वह National Congress द्वारा स्थापित मानदण्डों के विपरीत जाकर "सडक सीमा" की भूमि रेस्पोडेंट संख्या–1 को आवंटित कर सके। केवल इस कारण आंवटन किया गया है क्योंकि रेस्पोडेंट संख्या–1 सरकारी महकमा है।

ऐसा आवंटन अगर किसी निजी व्यक्ति को हो जाता तो अब तक सारा प्रशासन उसे निरस्त करने के लिये एकजुट हो जाता। एक बार जब कोई भूमि राष्ट्रीय घोषित हो चुकी हो तो सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी प्रकार से उस राजमार्ग से आम नागरिक का आवागमन बाधित करे। आक्षेपित आवंटन आदेश से राजमार्ग संकरा हो गया है और आम नागरिक का आवागमन बाधित हो गया है। ऐसा आवंटन यथावत रहने योग्य नहीं है। आवंटन पत्रावली में पटवारी ने एक ही दिन में एक ही बिन्दु पर दो अलग तरह की रिपोर्ट देकर अधीनस्थ न्यायालय को भ्रमित कर दिया। दिनांक 05.03.2020 को जो चैक लिस्ट बनायी गयी उसके बिन्दु संख्या 17 में यह सही हकीकत अंकित की गयी कि प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 927 से 132 फिट दूरी पर है। उसी दिन इस रिपोर्ट से विपरीत जो पत्र तहसीलदार को लिखा गया है उसके बिन्दु संख्या 4 में पटवारी ने प्रस्तावित भूमि को मुख्य सड़क से 100 फिट की दूरी पर स्थित होना बताकर अपने पदीय कर्तव्यों से जुडे उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में भारी उपेक्षा बरती है। ऐसी विरोधाभासी रिपोर्ट पर आधारित आवंटन आदेश गलत, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित आवंटन आदेश पारित करने के पूर्व अपीलांट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। इतना ही नहीं अपीलांट्स के पक्ष में पारित संपरिवर्तन आवंटन आदेश से उन्हें जो राइट ऑफ फ्रण्टेज स्वयं तहसीलदार द्वारा प्रदान किया गया है उसे आक्षेपित आवंटन आदेश छीन लिया गया है। इसकी वजह से अपीलांट्स की भूमि लैण्डलॉक्ड हो गयी है। इस प्रकार के गंभीर Civil consequences रखने वाली आज्ञा पारित करने के पूर्व अपीलांट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिये था। मगर ऐसा कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे स्पष्ट है कि आक्षेपित आवंटन आदेश नैसर्गिक न्याय के पूर्णतः विपरीत अतः उपरोक्त आवंटन निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, बांसवाडा ने अपने आदेश क्रमांक/राजस्व/भू–आवंटन/16/2291 दिनांक 17.07.2020 से रेस्पोडेंट संख्या–1 को ग्राम कुण्डला खुर्द तहसील व जिला बांसवाडा में स्थित आराजी नम्बर 488 रकबा 10.12 बीघा में से 2 बीघा भूमि राजस्थान

भू–राजस्व (स्कूल, कॉलेज, चिकित्सालय, धर्मशाला एवं अन्य सार्वजनिक भवनों के लिये भूमि आवंटन) नियम 1963 के अधीन पुलिस चौकी बदरेल केम्प पाड़ला थाना आबापुरा के भवन निमार्ण के लिये आवंटित की है। उक्त किया गया आवंटन सही होकर विधिपूर्वक किया गया।

प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.07.2020 की अपीलाण्ट को जानकारी होना सम्भाव्य व साक्ष्य प्रमाणित नहीं है। अपीलाण्ट द्वारा पेशशुदा आवेदन, शपथ–पत्र व न्यायहित में मियाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये आवेदन अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा. दीवानी के आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपने आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेजात पेश किये है–

- क– जमाबंदी ग्राम कुण्डलाखुद तहसील व जिला बांसवाड़ा स्थित आराजी नं. 450।
- ख– आराजी नं. 450 के रूपान्तरण संबंधी प्रपत्र।
- ग– जमाबंदी ग्राम कुण्डलाखुर्द तहसील व जिला बांसवाड़ा स्थित आराजी नं. 488।
- घ– नक्शा ट्रेस।
- ड.– मौके के फोटोग्राफ्स।

इनमें से क्रम संख्या 'क' से 'घ' राजस्व रेकर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि है, अतः उन्हें रेकर्ड पर रखे जाने की अनुज्ञा दी जाती है। क्रम संख्या ड. मौके के फोटोग्राफ्स है, जो उन्हीं आराजीयात से संबंधित हो, जो अपीलाधीन है, इस बाबत् कोई निर्णायक तथ्य उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट का आवेदन स्वीकार कर क्रम संख्या 'क' से 'घ' तक के दस्तावेजात रेकर्ड पर रखने जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अब हम अपीलाण्ट के आवेदन दफा 96 जा. दी. पर विचार करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट आबादी प्रयोजनार्थ रूपान्तरित आराजी नं. 450 का क्रेता है तथा उसे इस भूमि से जुड़ी हुई आराजी नं. 488 का आवंटन जो कि पुलिस चौकी बदरेल

कैम्प पाडला (आगे जिसे पुलिस चौकी के नाम से संबोधित किया जाएगा) को किया गया है। आराजी नं. 450 व 488 सम्पार्श्वी है तथा आराजी नं. 450 के बाद आराजी नं. 488 व उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग रतलाम–बांसवाड़ा स्थित है तथा अपीलाण्ट की आराजी नं. 450 का रूपान्तरण करते समय तहसीलदार द्वारा सम्परिवर्तन आदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग से 132 फीट छोड़कर आराजी नं. 450 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा का रूपान्तरण किया गया है, तद्नुसार अपीलाण्ट का आवागमन व रास्ते हेतु व आराजी नं. 488 (पुलिस चौकी हेतु आवंटित) व उसके बाद आने वाले राजमार्ग को लेकर आवश्यक, हितबद्ध व व्यथित पक्षकार होना प्रतीत होता है, अतएवं अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत किये जाने की अनुज्ञा दी जाती है।

अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में बहस दिनांक 15.01.2021 को सुनने के बाद न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2021 को निम्न बिन्दुओं पर तहसीलदार बांसवाड़ा से रिपोर्ट तलब की गयी–

1. ग्राम कुण्डलाखुर्द की आवंटित आराजी नं. 488 एवं इससे जुड़े इसी व अन्य ग्रामों के खसरा नम्बरों का नक्शा, जिसमें दोनो ओर का रतलाम–बासंवाड़ा रोड़ स्पष्टतः उपदर्शित हो।
2. मौके का नजरी नक्शा जिसमें आराजी नं. 450 (अपीलाण्ट की आवासीय रूपान्तरित 2500 वर्ग मीटर भूमि) एवं आ.नं. 488 जहां पुलिस चौकी को भूमि आवंटित की गयी है, उसकी रतलाम–बांसवाड़ा हाईवे जो कि इस भूमि के उत्तर–दक्षिण एवं पूर्व–पश्चिम दोनों ओर से गुजर रहा है, से दूरी फीट में अंकित की जावें।
3. आराजी नं. 1579/445, 1590/445, 447, 449 व आराजी नं. 488 की राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में क्या स्थिति है? इस बाबत् रकबा सहित रिपोर्ट प्रेषित करें।

न्यायालय के उक्त तलबी के जबाब में तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.01.2021 को बिन्दुवार निम्नानुसार मौका रिपोर्ट आदि प्राप्त हुए–

1. ग्राम कुण्डलाखुर्द को आवंटित आराजी नं. 488 एवं इससे जुड़े इसी एवं अन्य ग्रामों के खसरा नम्बर का नक्शा ट्रेस संलग्न है

उसमें रतलाम रोड़ पेमूद नहीं है। नजरी नक्शा संलग्न किया जा रहा है।

2. आराजी नं. 450 एवं 488 जहां पुलिस चौकी को भूमि आवंटित की गई है। उसकी नपती पटवारी हल्का कुण्डला से कराई गई, जिसमें रतलाम– बांसवाड़ा हाई–वे रोड़ से मध्य बिन्दू से एक भुजा की दूरी 85 फीट है एवं दूसरी भुजा सड़क से लगी हुई है तथा बांसवाड़ा–आंबापुरा रोड़ के मध्य बिन्दू से आवंटित भूमि 530 फीट की दूरी पर स्थित है। नजरी नक्शा स्पष्ट दर्शाया गया है।
3. आराजी नं. 1579/445 रकबा 0.05 बीघा किस्म आबादी एवं आराजी नं. 1590/445 रकबा 1.08 बीघा किस्म बे. गो. 1 राजस्व रेकार्ड में कालू, मणिलाल, बिजिया पिता गोतिया, काली बेवा गोतिया जाति भील साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। आराजी नं. 447 रकबा 1.17 बीघा एवं आराजी नं. 449 रकबा 06.07 बीघा सरकारी वन विभाग के नाम दर्ज है एवं आराजी नं. 488 रकबा 10.12 बीघा आरक्षित भूमि दर्ज है। उसमें से 2.00 बीघा भूमि पुलिस चौकी बदरेल कैम्प पाडला थाना आंबापुरा के नाम आवंटित की गयी है जिसकी राजस्व रेकर्ड की नकलें संलग्न है।

प्रकरण में तहसीलदार बांसवाड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नजरी नक्शा जो कि इस निर्णय का अभिन्न भाग होकर परिशिष्ठ–'अ' के रूप में संलग्न रहेगा, पर विवेचन करना उचित समझते हैं। उक्त प्राप्त मौका रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा मुर्तिब की गयी है। उक्त मौका रिपोर्ट से यह सुस्पष्ट होता है कि आराजी नं. 450 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा एवं आराजी नं. 488 रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा सम्पार्श्वी है। उक्त आराजी नं. 450 व 488 के उत्तर–दक्षिण व पूर्व–पश्चिम दोनों ओर रतलाम–बांसवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग निकलता है। आराजी नं. 450 के उत्तर–दक्षिण जाने वाले रतलाम–बांसवाड़ा राजमार्ग एवं इन दोनों आराजीयात के मध्य आराजी नं. 447, 448 व 449 स्थित है, जो कि वन विभाग की भूमियां है अर्थात् आराजी नं. 450 व 488 को उत्तर–दक्षिण वाले मार्ग पर जाने के लिए वन विभाग से कोई रास्ता उपलब्ध होने अथवा उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। अब हम आराजी नं. 450 व 488 के पूर्व–पश्चिम की ओर जाने वाले रतलाम–बांसवाड़ा राजमार्ग पर विवेचन करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये

दस्तावेजात से यह स्पष्ट होता है कि जब आराजी नं. 450 का रूपान्तरण आदेश दिनांक 27.05.2013 को जारी किया गया है, तब उसका रूपान्तरण राष्ट्रीय राजमार्ग से 132 फीट छोड़कर किये जाने का आदेश वर्णित है। वहीं जब हम आराजी नं. 488 को पुलिस चौकी के लिए भूमि आवंटन पत्रावली का अवलोकन करते हैं तो उसमें नोटशीट के पैरा 1 में पुलिस चौकी के लिए प्रस्तावित भूमि से मुख्य सड़क से 100 फीट की दूरी होना बताया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 13.03.2020 को जिला कलक्टर को जो पत्र लिखा है, उसमें भी इसकी मुख्य सड़क से 100 फीट की दूरी बतायी गयी है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 05.03.2020 में भी मुख्य सड़क से 100 फीट की दूरी पर बताया गया है एवं दूसरी रिपोर्ट जो भी दिनांक 05.03.2020 की है, उसमें इसे राजमार्ग से 132 फीट दूरी पर बताया गया है। परन्तु तहसीलदार द्वारा जब अभी इस न्यायालय के आदेश से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसे निर्णय का अभिन्न भाग परिशिष्ट–'अ' बता रहे हैं, उसमें आराजी नं. 488 पुलिस चौकी के लिए जो भूमि 2 बीघा आवंटित की गयी है, जिसके नम्बर 1668/488 बने हैं, उसका कुछ भाग तो पूर्व से ही रतलाम–बांसवाड़ा राजमार्ग जो कि आराजी नं. 488 के पूर्व–पश्चिम से गुजरता है, उसमें आता है तथा आराजी नं. 1668/488 जो पुलिस चौकी के लिए आवंटित की गयी है, वह रतलाम–बांसवाड़ा राजमार्ग के पूर्व–पश्चिम भाग से कुछ भाग रोड़ में आने के बाद अन्य कोना 85 फीट की दूरी पर ही स्थित है, अर्थात् पुलिस चौकी के लिए जो भूमि आवंटित की गयी है, वह निसंदेह राजमार्ग के मार्गाधिकार (Right of Way /ROW) में आती है। हम यह मानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने वाली दुर्घटनाओं के सन्दर्भ में उन पर त्वरित कार्यवाही के लिए पुलिस चौकी को राजमार्ग पर स्थित होना चाहिए परन्तु राजमार्ग पर ROW मार्गाधिकार में पुलिस चौका का निर्माण भी विधिसमत्त् नहीं है।

उपरोक्तानुसार पुलिस चौकी को किये गये आवंटन में तथ्यों व नियमों की अनदेखी होना स्पष्ट है एवं तद्नुसार अपीलाधीन आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अधीनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 17.07.2020 जो पुलिस चौकी के लिए 2 बीघा भूमि आराजी नं. 488 में से आवंटित की गयी है, उसे अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त पुलिस चौकी के लिए उक्त किये गये 2 बीघा आवंटन के स्थान पर उपयुक्त

रकबा व उसकी अवस्थिति (Location)/चिन्हिकरण/तरमीम इस प्रकार सुनिश्चित करें कि (आराजी नं. 488 जिसका रकबा 10 बीघा 12 बिस्वा है तथा यह भूमि प्रथम दृष्टया पूरी ही राजमार्ग से लगी हुई प्रतीत होती है) पुलिस चौकी भी इस राजमार्ग पर बने एवं मार्गाधिकार के नियमों का उल्लंघन न हो तथा अपीलाण्ट को भी LandLock की स्थिति नहीं बने एवं उसे भी राजमार्ग तक पहुंचने का उपयुक्त रास्ता उपलब्ध हो सकें।

उपरोक्तानुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ को उभय पक्षों को सुनकर पुलिस चौकी को किये गये आवंटन आदेश में उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखकर आवश्यक संशोधन करने को प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभय पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.02.2021 को उपस्थित हो।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल.एन.मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर